कार्यालय नगर पालिका परिषद, डबरा जिला–ग्वालियर(म0प्र0)

क्रमांक / 1421 / सा0प्र0 / 1 / 2026 / 4 / 22 डबरा, दिनांक 06-05-2026

/ / द्वितीय ई–निविदा आमंत्रण सूचना / /

एतद् द्वारा ट्रेवल्स एजेंसी / टेक्सी परमिट पास वाहन मालिकों को सूचित किया जाता है कि इस निकाय द्वारा अध्यक्ष महोदय / मुख्य नगर पालिका अधिकारी के प्रशासनिक कार्य निर्वहन के लिये स्कार्पियो / बोलेरो वाहन मासिक किराये पर लिया जाना है। इच्छुक ट्रेवल्स एजेंसी / टेक्सी परमिट पास वाहन मालिक दर्शित तालिका अनुसार आयटम दरों पर 2.0 पर आधारित ऑनलाईन निविदायें ई–टेण्डरिंग बेबसाईट www.mptender.gov.in पर दिनांक 25/05/26 को सांय काल 5.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

क्र.	ऑनलाईन टेण्डर नम्बर	सामग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य अवधि
1.		स्कार्पियो वाहन टेक्सी परिमिट पास मासिक किराये पर	01 नग	20000 / –	2000 / –	कार्यादेश दिनांक से 31 / 3 / 2027 तक

नियम एवं शर्ते :–

1. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन निविदा दिनांक 25/05/26 को समय 17.30 तक क्रय एवं दर ऑफर सबमिट की जा सकती है।
2. विड ऑनलाईन ओपन दिनांक 28/05/26 को प्रातः 11.00 बजे से।
3. ठेकेदार को वाहन का टेक्सी परमिट पास जीबित रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वाहन का जीवित बीमा ई.एम.डी. पेमेण्ट ऑफ बिड डॉक्यूमेन्ट पेन नम्बर जी.एस.टी. नम्बर 100 / – रू0 के स्टाम्प पर एफीडेविट आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी टेण्डर को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिशद डबरा के सक्षम प्राधिकारी को होगा।
4. सशर्त एवं कॉट–छॉट युक्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. विवाद का न्यायालयीन क्षेत्र डबरा होगा।
6. प्रत्येक वाहन की पृथक–पृथक मासिक दर देना होगी। मुताबिक कार्यादेश के वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन उपलब्ध न करने की दशा में किसी भी अन्य एजेन्सी से वाहन किराये पर ले लिया जावेगा तथा निकाय को वाली क्षति की पूर्ति सम्बंधित ठेकेदार से की जावेगी।
7. विज्ञप्ति एवं नगर पालिका द्वारा तय की गई नियम एवं शर्तो में संशोधन परिवर्तन एवं शिथिलीकरण का अधिकार नगर पालिका डबरा के सक्षम अधिकारी को होगा।
8. नियम एवं शर्तो के संबंध में होने वाले विवाद एवं आपत्ति के संबंध में अन्तिम निराकरण नगर पालिका डबरा द्वारा किया जावेगा। जो दोनो पक्षो को मान्य होगा।
9. वाहन निकाय को सुपुर्द करना होगा अनुबंध पत्र में उल्लेखित समयावधि तक वाहन निकाय की अभिरक्षा में रहेगा। वाहन के लिए वाहन चालक एवं डीजल आदि निकाय द्वारा प्रदाय किया जावेगा। वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक को वैकल्पिक व्यवस्था के लिये दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा यदि वाहन उपलब्ध नही कराया जाता है तो प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर नियमानुसार आपके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। वाहन में कोई खराबी आती है तो उस पर होने वाला व्यय वाहन मालिक को वहन करना होगा।
10. निविदाकार को दर स्वीकृति उपरांत 07 दिवस के अंदर नियमानुसार अनुबंध निष्पादित कराना अनिवार्य होगा अन्यथा म0प्र0 शासन के पत्र पत्र क्र0 1244 दिनांक 03.02.2023 की कण्डिका 03 अनुसार निविदाकार को कम से कम 02 वर्ष के लिये प्रतिबंधित किया जावेगा।
11. निविदा में किया गया कोई संशोधन उक्त बेबसाइट www.mptender.gov.in पर किया जावेगा। पृथक से कोई भी प्रकाशन नही किया जावेगा। अतः संबंधित जानकारी उक्त बेबसाईट www.mptender.gov.in पर देखी जावे, निविदा से संबंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में संबंधित शाखा में देखी जा सकती हैं।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, डबरा
डबरा, दिनांक 06-05-26

पृष्ठांकनः क्रमांक / 1422 / सा0प्र0 / 1 / 2026 / 4 / 22

प्रतिलिपिः–

1– कार्यालय नगर पालिका परिषद डबरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
2– कार्यालय सहायक यंत्री पी.एच.ई. / पी.डब्ल्यू.डी. / कार्यपालन यंत्री हरसी जलसंसाधन विभाग डबरा ग्वालियर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
3– अनुविभागीय अधिकारी तहसील डबरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
4– कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डबरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5– कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति डबरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद , डबरा

Signature Not Verified
Digitally signed by SAKSHI BAJPAI
Date: 2026.05.07 13:41:09 IST
Location: Madhya Pradesh-MP